



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत
आपराधिक विविध अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या – 253/2025

विश्व मोहन

...प्रार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ एवं एक अन्य

... विरोधी पक्षकार (गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता: – आयुष गुप्ता, प्रतुल गुप्ता

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 28**माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती**

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता और विरोधी पक्षकार संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. पारित किए जा रहे आदेश के दृष्टिगत, विरोधी पक्षकार संख्या 2 को नोटिस जारी किया जाना उन्मोचित किया जाता है।
3. यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र थाना कोतवाली- सदर, जिला- लखीमपुर खीरी में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 0162/2024 अंतर्गत धारा 458/380/354/504/506 भारतीय दंड संहिता के संबंध में दायर किया गया है।
4. प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तु के अनुसार, घटना दिनांक 02.03.2024 की बताई गई है, जब प्रार्थी ने कथित तौर पर सूचनाकर्ता की बेटी के साथ मिलीभगत कर कीमती सामान लूटा, जिसके दौरान सूचनाकर्ता ने उन्हें देख लिया, लेकिन वे चोटें पहुंचा कर भाग गए।
5. यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थी को उस पर लगाए गए आरोपों में झूठा फंसाया गया है, जैसा कि दंड प्रक्रिया

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

संहिता की धारा 161 और 164 के अंतर्गत सूचनाकर्ता की बेटी सिमर दीक्षित के बयानों से स्पष्ट है जो स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रतिशोध की भावना से दर्ज कराई गई है क्योंकि उसने अंतरजातीय विवाह किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि घायल शिकायतकर्ता ने चिकित्सकीय परीक्षण कराने से इनकार कर दिया है। सभी घायल व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार करने के बाद छोड़ दिया गया था। विवेचना अधिकारी के समक्ष अपने बयान में सिमर दीक्षित ने कहा है कि ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई थी। जाँच के दौरान प्रार्थी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41-क के अंतर्गत कोई नोटिस नहीं दिया गया है। प्रार्थी को कोई सम्मन या नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, हालांकि आरोपपत्र वर्ष 2012 में दायर किया गया था और दिनांक 13.7.2012 को संज्ञान लिया गया था।

सह-अभियुक्त शोभित श्रीवास्तव को अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 536 वर्ष 2025 में पारित आदेश द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गई है।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तु स्पष्ट रूप से प्रार्थी की संलिप्तता और लगाए गए आरोपों को दर्शाती है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के परिशीलन के उपरांत, प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप स्वयं सूचनाकर्ता की बेटी द्वारा ही विरोधाभासी कहे गए हैं जो यह संकेत दे सकता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतरजातीय विवाह के कारण प्रतिशोध के रूप में दर्ज की गई है। ऊपर नामित सह-अभियुक्त को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। अतः, सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) और अन्य (2020) 5 एससीसी 1 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के दृष्टिगत, प्रार्थी को धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता/ धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अग्रिम जमानत देना समुचित होगा।

8. उपरोक्त के आलोक में, यह प्रावधान किया जाता है कि गिरफ्तारी की स्थिति में, प्रार्थी को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के दो प्रतिभू और व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर, उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:—

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(i) प्रार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुकदमे के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन अथवा धमकी नहीं देगा या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय में ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके;

(ii) प्रार्थी न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

(iii) प्रार्थी अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा अथवा उन्हें धमकी नहीं देगा;

(iv) प्रार्थी प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो;

(v) उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, अवर न्यायालय को जमानत रद्द करने की स्वतंत्रता होगी;

कोई अन्य युक्तियुक्त प्रतिबंध/शर्तें जिन्हें विचारण न्यायालय उपयुक्त और उचित समझे, अधिरोपित की जा सकती हैं।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रार्थी को जमानत देते हुए की गई टिप्पणियां किसी भी रूप में विचारण न्यायाधीश को साक्षियों के परिसाक्ष्य के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

10. प्रार्थनापत्र निस्तारित किया जाता है।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

30 मार्च, 2026

केकेबी